राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1341/2009/कोटा.

मैसर्स कोटा दाल मिल, ई–4(II), आई.पी.आई.ए., कोटा. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–प्रथम, कोटा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 1342/2009/बूंदी.

मैसर्स अडानी विलमार लिमिटेड, सिलार रोड़, बूंदी. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–तृतीय, कोटा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 1369/2009/कोटा.

मैसर्स पी.सी. बांगुर मिनरल्स लिमिटेड, विज्ञान नगर, कोटा. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–प्रथम, कोटा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

4. अपील संख्या – 1370/2009/कोटा.

मैसर्स डी.सी.एम. श्रीराम इण्ड. लिमि., श्रीराम नगर, कोटा. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–प्रथम, कोटा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पारस पाटनी, अभिभाषक .....अपीलार्थीगण की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04/05/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा उपरोक्त चारों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिनका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–प्रथम/तृतीय, कोटा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2005–06 के लिये राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे **'प्रवेश कर अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 12(3) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध

लगातार.....2

प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करते हुए आरोपित प्रवेश कर, ब्याज तथा वार्षिक/मासिक विवरण प्रपत्र विलम्ब से पेश किये जाने के कारण धारा 35 के तहत आरोपित शास्ति की पुष्टि की है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी का आदेश		कर निर्धारण आदेश दिनांक
	क्रमांक	दिनांक	आदेश दिनांक
1	2	3	4
1341/2009	3/ई.टी./2009—10/कोटा	24.8.2009	24.4.2009
1342/2009	1/ई.टी./2009—10/बूंदी	26.8.2009	31.3.2008
1369/2009	5/ई.टी./2009—10/कोटा	28.8.2009	24.4.2009
1370/2009	4/ई.टी./2009—10/कोटा	24.8.2009	27.4.2009

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित			
कर	ब्याज	शास्ति U/s 35	योग
5	6	7	8
60,692	—	2,000	62,692
2,09,217	—	—	2,09,217
38,036	16,386	2,000	56,422
2,88,537	23,061	1,000	3,12,598

2. इन चारों अपीलों में विवादित बिन्दु समान निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावलियों का अवलोन किया गया।

4. हस्तगत प्रकरणों में अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा राज्य के बाहर से आयातित माल पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया है, साथ ही व्यवहारीगण द्वारा वार्षिक/मासिक विवरण प्रपत्र (ETLA—5/3) विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रवेश कर अधिनियम की धारा 35 के तहत शास्ति भी आरोपित की गयी। अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों का अनुसरण करते हुए अपीलार्थीगण की अपीलें अस्वीकार की गयी हैं, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि कारित किया जाना प्रकट नहीं होता है। राजस्थान कर बोर्ड द्वारा **अपील संख्या 2213/2008/कोटा मैसर्स मित्तल पिगमेन्ट्स प्रा0 लि0 कोटा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—बी, कोटा व अन्य** के प्रकरण में इसी बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के **मैसर्स जिन्दल स्टेनलेस स्टील बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा में दिये गये निर्णय दिनांक 11.11.2016** के आलोक में, आरोपित प्रवेश कर व

लगातार.....3

ब्याज की पुष्टि की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर अपीलीय आदेशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं होने से इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारीगण की अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

5. इसी प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा प्रपत्र ETLA—5/3 विलम्ब से पेश किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 35 के तहत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था, जिसकी पुष्टि किये जाने में भी अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

6. उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलें बलहीन होने से अस्वीकार की जाकर, अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया ।

(के. एल. जैन)
सदस्य